

स्त्रियों की अधिकार्य इलाकों में कोरोना का वायरस का संक्रमण बढ़ा तेजी, बिहार के लोगों ने अपने परिवार के एक युवक ने कोरोना का वायरस कोविड-19 बीमारी

इमआई माफ करने के लिए ऑनलाइन ग्रनी के मामले में एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने एडवाइजरी जारी किया, बैंक इमआई माफ करने के लिए कशी श्री कॉल नहीं करती

आंकड़ों के मुताबिक विछ्ले 24 घंटे में भारत में कोरोना सबसे ज्यादा 1035 मामले सामने आए और 40 लोगों की हुई हैं



रजिस्ट्रेशन नंबर :  
अष्टावाना निवास,  
महिया निरात,  
मोतिहारी-845401  
समाचार एवं विज्ञापन  
के लिए संपर्क करें-  
9471005272

email: newstodaymth@gmail.com

website : newstodayupdate.in

वर्ष : 06 अंक : 07+12 तिथि : 11 अप्रैल 2020

मूल्य : निःशुल्क

प्रधान संपादक : डा. राजेश अरथाना - 9471005272, 8210595830

# न्यूज़ टुडे लॉक टाइम स्पेशल रोजाना अंक

न्यूज़ टुडे एक्स्प्रेसिव :

स्त्रियों की कर्ज की मासिक किस्त (ईएमआई) भुगतान पर तीन महीने की दौकान से आपको नहीं होगा कोई लाभ, बाद में अधिक व्याज वसूलेंगे बैंक



डा. राजेश अरथाना,  
एडिटर इन चीफ, न्यूज़ टुडे मीडिया समूह :

भारतीय रिजर्व बैंक ने निश्चिल स्पाहु खुदाय और फसल समेत सभी प्रकार के कर्ज (टर्म लोन) वाया कार्यशील पूँजी भुगतान पर तीन महीने की रोक से ग्राहकों को अनुमति दी थी। रिजर्व बैंक की मासिक किस्त (ईएमआई) भुगतान पर तीन महीने की रोक से ग्राहकों को अंतिम तरफ सर्वानों से संबोधता कोई बहुत ज्यादा लाग नहीं दिया रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस बारे में घोषित योजना के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे। बैंकों के पास अब कार्यशील पूँजी की सीधा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है।

रिजर्व बैंक ने राहत पैकेज में क्षेत्र दिया है निर्देश

केंद्रीय बैंक ने कहा था कि अगर इन अवधि के दौरान कर्ज की किस्त नहीं आती है, तो उसे चुक नहीं भाना जाना चाहिए तथा कर्ज की रोक जानकारी रखने की नहीं जानी चाहिए। ऐसा जान पड़ता है कि कर्जदाताओं के समस्या अब दोहरा स्थान है। एक रिजर्व बैंक की कर्ज की अधिकारी नहीं दिया रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस बारे में घोषित योजना के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे। बैंकों के पास अब कार्यशील पूँजी की सीधा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है।

एसबीआई ने टालने वाले किस्तों पर व्याज जोड़ने की भेजी सूचना

देश के सभी बड़े बैंक भारतीय रेस्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को भेजी सूचना में कहा कि गोहलत अवधि के दौरान जो भी बकाया राशि है, उस पर व्याज जुड़ता रहेगा। बदा हुआ व्याज उन कर्जदारों से अतिरिक्त ईएमआई के जरिये लिया जाएगा, जो तीन महीने की गोहलत का विकल्प चुनते हैं।

छह लाख के गाड़ी लोन पर देना होगा 19 हजार रुपये का अतिरिक्त व्याज

इसी प्रकार, अगर ग्राहक ने 6 लाख रुपये का वाहन कर्ज ले रखा है और उसे लौटाने के लिए 54 महीने का समय बचा है, तो छूट अवधि का विकल्प चुनने पर उसे 19,000 रुपये की अतिरिक्त ईएमआई देना जारी रखना चाहते हैं। उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और वे वसूले की रोक के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है।

मेल के जरिये देना होगा आवेदन

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के जरिये आवेदन देना होगा। इसके साथ ही, किसी को रोके जाने और एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि पर व्याज लगाना चाहिए। एक अपरिवर्तनीय कर्ज की राशि व्याज के अनुसार, वे इन तीन महीनों का व्याज बाद में वसूलेंगे।

एसबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहक ईएमआई को तीन महीने के लिए टालना चाहते हैं और उनकी किस्त राश्ट्रीय व्यवस्था (एनएसीआई) के जरिये जारी होती है, तब्दी ई-मेल के